न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 108/2025 G.C.M.S. No. 2025/509 दर्ज दिनांक : 06.08.2025

अपीलार्थिगण:

1. हडमताराम पुत्र चोपाराम
2. नाबा सौरम कुमारी पुत्र वगताराम जरिये संरक्षक चाचा हडमताराम जातियान कलबी निवासीगण हाल–भुण्डवा तहसील सायला जिला जालोर
3. महादेवाराम पुत्र चेलाराम फौत के कायम मुकाम वारिसान:–

3/1. मफरीदेवी पुत्री महादेवाराम पत्नी वालाराम जाति कलबी निवासी हाल भुण्डवा तहसील सायला जिला जालोर

3/2. देशुदेवी पुत्री महादेवाराम पत्नी बदाराम जाति कलबी निवासी हाल सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर

3/3. हंजादेवी पुत्री महादेवाराम पत्नी वागाराम जाति कलबी निवासी हाल तालीयाना तहसील सायला जिला जालोर

3/4. तलसाराम पुत्र महादेवाराम जाति कलबी, निवासी हाल भुण्डवा, तहसील सायला जिला जालोर

3/5. सुकीदेवी पुत्री महादेवाराम पत्नी लीलाराम, जाति कलबी निवासी हाल कूडा तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गीगाराम पुत्र सोनाराम
2. दीपाराम पुत्र सोनाराम
3. रायमल पुत्र सोनाराम जातियान कलबी निवासी भूण्डवा तहसील सायला जिला जालोर
4. शाखा प्रबधंक, आर.एम.जे.बी. बैंक शाखा मेगलवा तहसील सायला
5. भूमिधारी तहसीलदार सायला जिला जालोर

फॉर्मल पक्षकार

1. आशाराम पुत्र चोपाराम जाति कलबी निवासी भूण्डवा, तहसील सायला जिला जालोर
2. बाबूराम पुत्र महादेवाराम जाति कलबी निवासी हाल–भुण्डवा तहसील सायला जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2024 बअनवान गीगाराम बनाम आसाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पैरोकार:–

1. श्री सावलाराम चौधरी, प्रफुल सोलंकी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलाप्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2024 बअनवान गीगाराम बनाम आसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिसमें बिना कानूनी व विधिक प्रक्रिया अपनाये व अपीलांट्स एवं सह–खातेदारों को बिना सुने, उनके विरूद्ध आनन–फानन में दिनांक 29.07.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांट्स को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का जवाब बिना किसी वजह के बंद कर दिया तथा जवाब पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया तथा उसके बाद जब रेस्पोडेन्ट साक्ष्य पेश हुई, तब भी अधिवक्ता अपीलांट को जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई तथा ना ही रेस्पोडेन्ट्स साक्ष्य का शपथ–पत्र की प्रतिलिपि अपीलांट को दी गई तथा अपीलांट को उसकी साक्ष्य पेश करने के लिए ना तो सूचना दी गई व ना ही अवसर दिया गया तथा अपीलांट साक्ष्य भी बंद कर दी गई। उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादी अपीलांट्स का आज भी मौके पर काबिज काश्त है, क्योंकि वादी/रेस्पोडन्ट्स को उपरोक्त आराजी के बदले पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवाड के अनुसार गत खसरा नम्बर 36 वादी/रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आया हुआ है। गत खसरा संख्या 44 पूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से में आया था तथा गत खसरा संख्या 36 अपीलांट्स 1 से 04 के हिस्से में आया था तथा इसी माफिक पारिवारिक बंटवाडा अनुसार मौके पर काबिज है। बंटवाडे के दावे में नियमानुसार समस्त सामलाती खातेदारों को सुना जाकर किसी प्रकार का निर्णय व आदेश दिया जाना न्यायोचित होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सभी खातेदारो को बिना सुने एकपक्षीय जो अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित किया है, उससे सभी खातेदारो के हक, हकूको पर कुठाराघात हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में बिना खातेदारो को सुने जो एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांट सीधे सादे व्यक्ति है जिनको उक्त विचाराधीन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थी व न ही उनको उक्त वाद में जारी कोई नोटिस प्राप्त हुए है। अपीलांट को जब निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी की उसके पश्चात तहसीलदार सायला से उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत् भू.अ.नि. एवं पटवारी मौके पर आये उस समय अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.07.2025 की जानकारी हुई, उससे पूर्व अपीलांट्स को उक्त निर्णय उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जो नकले प्राप्त होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अन्दर म्याद यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 वादी द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 24.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 व 4/6 का जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4/4 व 4/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रकरण में साक्ष्य वादी पूर्ण की गई तथा दिनांक 07.07.2025 को प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गयी। बाद साक्ष्य वादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा मौके पर करते हुए विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार सायला से तलब किया गया। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से कोई त्रुटि कारित किया जाना साबित नहीं है।
3. अपीलांट द्वारा कथित पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 13.08.1987 निष्पादित होने एवं उसके अनुसार गत खसरा संख्या 44 की आराजी चौपा व महादेवाराम व उनके परिवार को देने की लिखत होने से उक्त आराजी अपीलांट्स की होने व इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं करने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त होने बाबत् उज्र लिया है के संबध में पत्रावली पर उक्त कथित लिखत की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त लिखत साधारण कागज पर निष्पादित की गयी। जो न तो पारिवारिक बंटवाड़ा है एवं न ही आराजियात का कोई अंतरण तथा न ही संबधित द्वारा उक्त लिखत का कोई क्रियान्वयन करवाया गया है। वादग्रस्त आराजीयात में उभयपक्षकारान सहखातेदार दर्ज है तथा सभी सहखातेदारान का हिस्सा अंकित है एवं वादपत्र सहखातेदारी आराजी के विभाजन से संबधित है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में उक्त कथित लिखत अप्रासगिक है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राथमिक है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। जिसमें नियम 20 के प्रावधान अनुसार काश्तकारान के मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त, माठ, मकानात एवं पशु एवं चाराग्रह तथा अन्य संरचना के रकबे को संबधित सहखातेदार के हिस्से में प्रस्तावित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जाना आज्ञापक है। अतः इस स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। लिहाजा उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुताबिक राजस्व रेकर्ड विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। साथ ही चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का कोई विशिष्ट भाग किसी विशिष्ट सहखातेदार को विभाजन में प्रस्तावित नहीं कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धांत के आधार पर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः इस स्तर पर गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2024 बअनवान गीगाराम बनाम आशाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली